इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 5 दिसम्बर 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------1
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
अंतरराष्ट्रीय समाचार ----------4
सूक्ष्म वित्त ----------5
ग्रामीण बैंकिंग ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक नकदी अंतरण का शुभारंभ

आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण की शुरूआत प्रायोगिक आधार पर 1 जनवरी, 2013 से 16 राज्यों के 51 जिलों में की जाने वाली है। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि "पहली शुरूआत के सफल होने पर उत्तरवर्ती अंतरण शीघ्र ही आरंभ किए जाएंगे। हम सम्पूर्ण रोल आउट को आगामी कैलेंडर वर्ष में पूरा करने की आशा करते हैं।"

एटीएमों ने एक लाख का कीर्तिस्तंभ पार किया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अनुसार भारत में एटीएमों की संख्या 1 लाख का कीर्तिस्तंभ पार कर गई है। सभी बैंकों ने एक साथ मिल कर आगामी दो वर्षों में लगभग एक लाख एटीएम अतिरिक्त रूप से लगाने की योजना तयार कर रखी है, जिससे प्रति मिलियन आबादी पर एटीएमों की संख्या 85 से बढ़ कर लगभग 170 हो जाएगी। अक्तूबर, 2012 में एटीएमों की कुल संख्या 1,04,500 थी। लगभग 61,500 एटीमों की संख्या के साथ सार्वनिक क्षेत्र के बैंकों और स्टेट बैंक समूह की हिस्सेदारी 59% थी, लगभग 41,800 एटीएमों के साथ निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 40% थी तथा शेष 1% लगभग 1,150 उन एटीएमों का निरूपण करता है, जो सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा परिनियोजित किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों में उछाल

इस वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में इलेट्रॉनिक लेनदेन 14,88,353 करोड़ बताए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 53% की वृद्धि दर्शाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ECS) , राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरणों (NEFT) और कार्ड भुगतानों का समावेश है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंक शेयर बाज़ार के सदस्य हो सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार में स्वामित्वपूर्ण लेनदेन करना आरंभ करने के लिए शेयर बाज़ारों के सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करेगा। इसके लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को शेयर बाज़ारों के सदस्यता से सम्बन्धित मानदंडों को पूरा करना और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा सम्बन्धित शेयर बाज़ारों द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन करना चाहिए। इस मुहिम का उद्देश्य कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार में पारदर्शिता बढ़ाना है।

नये बैंक लाइसेंस केवल बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन के बाद ही

नये बैंकों की अनुमति दिये जाने की मांग के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवागंतुकों को आमंत्रित करने से पहले और अधिकारों (शक्तियों) की आवश्यकता पर बल दिया है। उसका कहना है कि "निजी क्षेत्र में नये बैंकों को लाइसेंस देने की नीति को अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछेक संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं। अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाने तथा निजी क्षेत्र में नये बैंकों को आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया की शुरूआत केवल बैंककारी विनियमन अधिनियम के संशोधित किए जाने के बाद ही की जाएगी।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की परिभाषा परिवर्तित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSRs) की परिभाषा आशोधित कर दी है। किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को रुग्ण तब माना जाता है जब उस उद्यम का कोई उधार खाता 3 माह या उससे अधिक समय समय से अनर्जक आस्ति हो अथवा निवल मालियत के 50% की सीमा तक की संचित हानियों के कारण उसमें (निवल मालियत में) कमी आ जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस विनिर्देशन को हटा दिया है कि इकाई को कम से कम दो वर्ष से वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली होना चाहिए।

बैंकों को बासेल -III के तहत चलनिधि जोखिम का मूल्यांकन करना होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि उनके दैनिक परिचालनों में कोई रुकावट न आए बासेल-III के अधीन एक चलनिधि जोखिम प्रबन्धन नीति तैयार करना और निधीयन रणनीतियां, विवेकसंगत सीमाएं निर्धारित करना तथा चलनिधि जोखिमों का मूल्यांकन करना अनिवार्य कर दिया है। चलनिधि जोखिम प्रबन्धन के सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से चलनिधि पर सामयिक निगरानी रखने तथा एक चलनिधि जोखिम सहनशीलता स्तर निर्धारित करने के लिए कहा है। उसने बैंकों से बाज़ार के सहभागियों को उचित निर्णय लेने में समर्थ

बनाने के लिए चलनिधि से सम्बन्धित सूचना नियमित आधार पर प्रकट करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि संकेतकों की गणना करने और तथा चलनिधि की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए पद्धतियां भी निर्धारित की हैं।

उत्तर-दिनांकित चेकों को बदलें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से ग्राहकों द्वारा उन्हें जारी किए गए उत्तर-दिनांकित चेकों (PDCs) को उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाले नये मानकीकृत चेकों से प्रतिस्थापित करने के लिए कहा है। मानकीकरण और बढ़ी हुई सुरक्षा विशेषताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से 31 दिसम्बर, 2012 तक सीटीएस 2010 को अपनाने के लिए कहा है।

समय-पूर्व भुगतान जुरमाना यथोचित होना चाहिए

बैंकों द्वारा अधिक दीर्घावधिक स्थिर ब्याज दर वाले ऋण उत्पाद आरंभ किए जाने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक समिति ने यह सिफारिश की है कि बैंकों को स्थिर ब्याज दर वाले ऋण उत्पादों पर एक ऐसा यथोचित समय-पूर्व भुगतान जुरमाना वसूल करना चाहिए जो केवल बकाया रकम न कि स्वीकृत प्रारंभिक ऋण की रकम की सीमा तक हो। इसके अलावा, समय-पूर्व भुगतान जुरमाने को उस अवधि के आधार पर श्रेणीकृत किया जा सकता है, जिसके बाद ऋण चुकाया जाता है, यथा- 5 वर्ष, 10 वर्ष आदि।

चलनिधि प्रबन्धन के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि किसी बैंक की अंतर-बैंक देयता (IBL) पिछले वर्ष के 31 मार्च की उसकी निवल मालियत से 200% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, अलग-अलग बैंक उनके निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अपने कारबार मॉडेल को ध्यान में रखते हुए कमतर सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इसका परिणाम बैंकों द्वारा उनकी ऋण जोखिम सीमाओं के पुनर्निर्धारण के रूप में भी सामने आ सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह भी कहना है कि ऐसे बैंक जिनका जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) पिछले वर्ष के 31 मार्च के दिन कम से कम 11.25% (9% के न्यूनतम जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात से 25% अधिक) रहा हो, अंतर-बैंक देयता (IBL) के लिए 300% तक की अधिक सीमा रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मांग मुद्रा उधार राशियों से सम्बन्धित सीमा को अंतर-बैंक देयता (IBL) सीमा के भीतर एक उप-सीमा के रूप में उसके द्वारा मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार परिचालनों के लिए यथा-निर्धारित रूप में परिचालित रहने की अनुमति प्रदान कर दी है।

प्रशासनिक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति की जरूरत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) की परिचालनात्मक लोच को और बढ़ाने के लिए स्तर I वाले केन्द्रो में अनन्य रूप से प्रशासनिक एवं नियंत्रक कार्य निष्पादित करने के लिए कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। बैंकों को क्षेत्रीय या आंचलिक कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन्हें विनियामक को सूचित करना जरूरी होगा। हालांकि, यह सामान्य अनुमति सम्बन्धित बैंक की विनियामक / पर्यवेक्षी सहूलियत की अधीन होगी। वर्तमान में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को स्तर 2 से स्तर 6 वाले केन्द्रो में क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों सहित शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना ही सूचना देने की शर्त पर खोलने की अनुमति है।

बैंकों के लिए फसल ऋणों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि सभी फसल ऋणों का उपयोग निधियों का विशाखन किए बिना वर्णित प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। हालांकि, बैंकों को उक्त मानदंड का पालन न करने वाले ऋणों के लिए किसी प्रकार के ब्याजगत सरकारी अनुदान का दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन ऋणों को कृषि ऋण नहीं माना जाएगा। कृषि ऋणों के संवितरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक यह चाहता है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता 'खेतिहर' हो; ब्याज की दर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर से कम हो; ऋण की रकम कृषि ऋणों के लिए निर्धारित वित्त की मात्रा के अनुसार नियत हो तथा ऋण का उपयोग वर्णित प्रयोजनों के लिए किया जाए।

पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रावधानीकरण में वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैंकों को उन पुनर्संरचित ऋणों के लिए 0.4% का प्रावधान करना होगा जो पुनर्संरचना व्यवस्था के अधीन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की संशोधित तिथि (DCCO) को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि (DCCO) के दो वर्ष के भीतर मानक हों। संशोधित तिथि के 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होने पर अपेक्षित प्रावधानीकरण 2.75% होगा। अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों का मानक श्रेणी के रूप में उन्नयन किए जाने पर श्रेणी-उन्नयन के पहले वर्ष में (2% की बजाय) 2.75% का प्रावधान लागू होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां प्रतिभूतिकरण नियम में उच्चतर दर वाली सीमा के पक्ष में

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से यह अनुरोध किया है कि वह प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित अपने दिशानिर्देशों, विशेष रूप से किसी बैंक की आधार दर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की उधार दर के बीच अंतर पर पुनर्विचार करे। वर्तमान में प्राथमिकता वाली हैसियत प्राप्त करने के लिए आस्तियों का बैंकों की आधार दरों से अधिकतम 8% अधिक ब्याज दर वाली होना आवश्यक है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां इसे बढ़ा कर 12% करवाना चाहती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिक सुदृढ़ कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार के पक्ष में

भारतीय रिज़र्व बैंक उस मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तीयन के लिए जिसमें लम्बी अनुग्रह अवधि शामिल होती है, इसप्रकार आस्ति-देयता असंतुलन निर्मित करती है तथा बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता से सम्बन्धित चिंताएं बढ़ाती है, के लिए बैंकों पर निर्भरता में कमी लाने के लिए एक अधिक सुदृढ़ कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार के पक्ष में है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि दीर्घावधिक जमाराशियों के अंश में वृद्धि से बैंकों के तुलनपत्रों में स्थिरता आ सकती है, जबकि वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता के महत्व को अधोरेखांकित करते हुए अनर्जक आस्तियों को घटाने से सम्बन्धित चिंताएं बढ़ सकती हैं। किन्तु मूलभूत सुविधा के लिए आवश्यक वित्त की मात्रा तथा इन तमाम वर्षों में बॉण्ड बाज़ार के विकास में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए बैंक इस क्षेत्र के लिए निधियों के महत्वपूर्ण स्रोत बने रह सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वृद्धिशील इक्विटी आवश्यकता 80,000 करोड़ रुपये है

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियों एवं प्रगति पर वर्ष 2011-12 की भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बासेल -III के वर्धित पूंजी पर्याप्तता अनुपातों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वृद्धिशील इक्विटी आवश्यकता मार्च 2018 के अंत तक 75,000 करोड़ रुपये -80,000 करोड़ रुपये रहने की आशा है। बासेल -III बैंक की पूंजी पर्याप्तता, दबाव परीक्षण और बाज़ार चलनिधि जोखिम के सम्बन्ध में वैश्विक विनियामक मानक है। वित्त वर्ष 11 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा इन मानकों को 2013 से 2018 तक लागू किए जाने की सहमति बनी थी।

बैंकों के लिए लागत घटाना और लाभ ग्राहकों को अंतरित करना आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि भारतीय बैंक उनकी कार्यकुशलता बढ़ाते हुए लागतों में कमी लाएं तथा लाभों को ऋणदाताओं एवं जमाकर्ताओं को अंतरित करें। बैंकों के समक्ष उपस्थित चुनौती है उनकी वित्तीय स्थिति को संरक्षित करते हुए मध्यस्थीकरण लागतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषन का सर्वोत्तम उपयोग करना और उसके बाद लाभों को जमाकर्ताओं एवं ऋणदाताओं, दोनों को अंतरित करना।

क्रेडिट कार्डों से सम्बन्धित बकाया राशियों में वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सितम्बर के अंत में क्रेडिट कार्डों की बकाया राशियों में वर्षानुवर्ष 22% की वृद्धि हुई, जिससे वे 23,000 करोड़ रुपये हो गईं। एक वर्ष पहले वाली अवधि में इसमें 2.2% की वृद्धि हुई थी। उससे सम्बन्धित ऋण के उपयोग और खर्च, दोनों ही में वृद्धि आरंभ हो गई। प्रणाली में मौजूद कार्डों की संख्या फरवरी में 17.56 मिलियन से बढ़ कर अगस्त में 18.24 मिलियन हो गई। इस अवधि के दौरान मासिक खर्च 8,197 करोड़ रुपये से बढ़ कर 9,584 करोड़ रुपये हो गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त उधार योजना में शामिल होने के पक्ष में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुझाव दिया है कि कारपोरेट ऋण के लिए सरकार की प्रस्तावित संयुक्त उधार व्यवस्था में निजी बैंकों को भी शामिल किया जाए तथा उसने उक्त नीति को लागू किए जाने से पहले इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किए जाने की मांग की है। सरकार को आशा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को समस्यामूलक ऋणों से रोधित करने के लिए तैयार की गई इस ऋण व्यवस्था से उधारकर्ताओं को अपर्याप्त संपार्श्विकों पर विभिन्न बैंकों से बहुविध (कई एक) ऋण लेने से रोका जा सकेगा। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रस्ताव में निजी क्षेत्र के बैंकों को भी शामिल करवाना चाहता है। संयुक्त उधार व्यवस्था बैंकों को अच्छी गुणवत्ता वाली सूचना तथा ऐसी बाज़ार आसूचना उपलब्ध कराएगी जिससे आस्तियों में और अधिक गिरावट को रोकने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

वैश्विक आकार वाले बैंकों के लिए समेकन आवश्यक

वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम ने इस बात पर बल दिया है कि बैंकों को समेकन के लिए आवश्यक रूप से तैयार रहना चाहिए, ताकि देश के पास अंतरराष्ट्रीय आकार वाले कम से कम 2-3 बैंक हों। कारबार के नये मॉडेलों का परिणाम अनिवार्य रूप से शीर्ष बैंकों के बीच समेकन के रूप में सामने आएगा, तथापि स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए अब भी पर्याप्त स्थान शेष है।

बैंकों को ऋण वसूली पर निगरानी के लिए पैनल गठित करना चाहिए

अशोध्य ऋणों में वृद्धि ने वित्त मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वसूलियों में हुई प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल की एक समिति गठित करने के लिए कहने हेतु प्रेरित किया है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों और सरकार के नामिती निदेशक के समावेश वाली उक्त समिति को निदेशक मण्डल को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशोध्य ऋणों में 30 सितम्बर में समाप्त छ: माह में 28% (अर्थात् 31,276 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई, जो 1,12,489 करोड़ रुपये से बढ़ कर 31 मार्च को समाप्त अवधि में 1,43,765 करोड़ रुपये हो गई।

ई-बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था लागू करें

भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि बैंक मोबाइल / नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के क्षेत्रों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था लागू करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां एवं प्रगति पर अपनी अद्यतन रिपोर्ट में कहा है कि "प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग के परिणामस्वरूप इंटरनेट बैंकिंग में धोखाधड़ियों की घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ गई हैं। बैंकों के लिए ग्राहकों से सम्बन्धित धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राहक जागरूकता में सुधार लाना आवश्यक है।" हाल के दिनों में धोखाधड़ियों की घटना को न्यूनतम करते हुए बैंकिंग क्षेत्र को प्रौद्योगिकीय उपयोग के माध्यम से कार्यकुशल बनाना भारतीय रिज़र्व बैंक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सोने के चार विकल्पों पर विचार

सोने के प्रति भारत की भारी चाहत तथा उसके आयात के कारण चालू खाते पर दबाव को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस पीली धातु की वास्तविक मांग में कमी लाने के लिए सोने से सम्बन्धित चार लिखतों पर विचार कर रहा है। ये हैं आशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS), सोने से सम्बद्ध खाता, सोना संचय योजना और स्वर्ण पेंशन योजना। वरिष्ठ नागरिकों को लक्ष्यांकित करते हुए बैंक बीमा कम्पनियों के पास एक निश्चित अवधि के लिए एक वार्षिकी योजना खोलेंगे। यद्यपि बैंक आभूषण वापस नहीं करेंगे, उच्च प्रतिलाभ के स्वामियों को आकर्षित करने की आशा है।

विनियामकों के कथन

मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक की सूची में

उपभोक्ता मूल्य के बढ़े हुए स्तर पर होने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्डों के प्रवर्तन (जारी किए जाने) को समर्थन प्रदान करता है, जो स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को रोकने में सहायक होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक महन्ती का कहना है कि मुद्रास्फीति के परंपरागत प्रवृत्ति से उच्चतर स्तर पर रहने के फलस्वरूप इस प्रकार के बॉण्डों के प्रति अभिरुचि अब बढ़ गई होगी। इसप्रकार के बॉण्डों का जारी किया जाना मुद्रास्फीति एवं स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को रोकने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

कारपोरेट बॉण्डों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) का दर्जा नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने यह संकेत दिया है कि कारपोरेट बॉण्डों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) का दर्जा दिए जाने की कोई तात्कालिक योजना नहीं तैयार की जा रही है। इस हैसियत के अधीन बैंकों को उनकी जमाराशियों के एक निश्चित हिस्से का निवेश

सरकारी बॉण्डों या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इसीप्रकार के अन्य लिखत में करना होता है। वर्तमान में, सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) 23% पर है।

बैंकों की परिपक्वता तक धारित सीमा में कटौती संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण की उस श्रेणी जिसे बैंकों को मोचन तक आवश्यक रूप से रखना चाहिए, किन्तु जिसे वर्ष में एक बार परिवर्तित किया जा सकता है - से सम्बन्धित परिपक्वता तक धारित (HTM) की उच्चतम सीमा में कमी करने पर विचार कर रहा है। वर्तमान सीमा 25% है, किन्तु पारंपरिक रूप से यह बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) से जुड़ी होती है, जिसे जुलाई में 1% तक घटा दिया गया था तथा अगस्त में कार्यान्वित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय बैंक की एक समिति से प्राप्त परिपक्वता तक धारित सीमा में कटौती की सिफारिश पर विचार कर रहा है।

सोने के अधिक आयात से भुगतान संतुलन प्रभावित हो रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि आगामी कुछेक वर्षों में भारत का स्वर्ण आयात उसके सकल घरेलू उत्पाद के "सारगर्भित" 2% तक पहुंच जाएगा और सोने जैसी विशेषताओं वाले किसी वैकल्पिक लिखत के उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। उच्च मूल्य के बावजूद लोग सोना खरीद रहे हैं, इसप्रकार आपूर्ति-मांग की गतिशीलता को चुनौती दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2012 में सोने के आयात में 39% की वृद्धि हुई तथा चालू खाते के घाटे (CAD) में उसकी हिस्सेदारी लगभग 3/4 (तीन चौथाई) थी। वित्त वर्ष 12 में भारत का चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% (अर्थात् 80 बिलियन अमरीकी डालर) था। उनके अनुसार भारत 4,000 टन से कुछ अधिक कुल वैश्विक आपूर्ति का लगभग 1/4 (एक चौथाई) आयात करता है और सोने की यह अतिरिक्त मांग प्रणाली, विशेष रूप से भुगतान संतुलन (BoP) पर दबाव निर्मित कर रही है।

दर कटौती उत्प्रेरित करने के लिए मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने विचार व्यक्त किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति घट कर 4-5% पर आ जाए विनिर्माताओं को उनके उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दर में कटौती को उत्प्रेरित करने की यह मुख्य पूर्वापेक्षा है। उच्च राजकोषीय और चालू खाते के घाटे (CAD) से जुड़ी जुड़वां समस्याएं नीतिगत ब्याज दरों में कमी लाने, रुपये को सुदृढ़ बनाने और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के मार्ग में भी बाधक सिद्ध हो रही हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये में अतिशय अस्थिरता को रोकेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये में किसी तीव्र गिरावट और अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करेगा। "इन दिनों पूंजी प्रवाह विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव निर्मित करते लगते हैं तथा अस्थिरता के लिए काफी कुछ जिम्मेदार हैं। घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार एकतरफा मूल्यह्रास वाले झुकाव के साथ अस्थिरता की एक लम्बी अवधि से गुजरा है। मुद्रा में किसी तीव्र गिरावट से और अधिक मूल्यह्रास की प्रत्याशाओं को बढ़ावा मिलता है। अतएव, हस्तक्षेप की नीति का उद्देश्य न केवल अतिशय अस्थिरता का शमन करना, अपितु भारतीय रुपये में काल्पनिक एकतरफा गिरावट को कम करने का प्रयास करना भी होता है।"

देशों को विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार बनाने से रोका नहीं जा सकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी सुब्बाराव ने कहा है कि देशों को विदेशी सुरक्षा पाशों पर निर्भर रहते हुए विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार बनाने से रोका नहीं जा सकता। उनका कहना है कि "विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार को अनिवार्य रूप से प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति होना चाहिए। इसके अलावा भी यह सुनिश्चित करना अमेरिका का दायित्व है कि डालर चलनिधि तक प्रत्येक देश की, विशेष रूप से दबाव के समय पहुंच हो।"

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऋण प्रवाहों के बारे में चिंतित

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा ऋण बाज़ार में प्रवाहों के बारे में चिंतित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान को उन ऋण अंतर्वाहों को कम करना आवश्यक लगता है जो ब्याज दर में अंतरों के कारण बहुत तीव्र गति से प्राप्त हुए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आंकड़ों के अनुसार ऋण बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा निवल निवेश पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4,290.65 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में जनवरी - अक्तूबर की अवधि के दौरान 59% की वृद्धि के साथ बढ़ कर 6,814.22 मिलियन अमरीकी डालर हो गए।

अन्तरराष्ट्रीय समाचार

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक ने ग्रीक बैंक को संपार्श्विक सीमाएं प्रदान कीं

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) ने ग्रीक बैंकों को ग्रीस के नेशनल सेन्ट्रल बैंक से आपात्कालीन ऋण प्राप्त करने के लिए ढांचे को व्यापक बना दिया है। बैंक ऑफ ग्रीस से इस तथाकथित आपात्कालीन चलनिधि सहायता (ELA) के लिए संपार्श्विकों के ढांचे को व्यापक बनाते हुए यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक

(ECB) खज़ाना बिलों पर उच्चतम सीमा में कमी की काफी हद तक भरपाई कर देगा। बैंक इसका उपयोग 7 बिलियन यूरो के स्थान पर 3 बिलियन यूरो की प्रतिभूति के लिए कर सकते हैं।

सूक्ष्मबीमा

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को कारबार संपर्की बनने की अनुमति प्रदान करें

सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आलोक प्रसाद ने राय व्यक्त की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को कारबार संपर्की (BCs) बनने और बैंकों की ओर से बचत खाते खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसी प्रगतिशील लगने वाली स्थिति अपनानी चाहिए जो राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यसूची को बढ़ावा देती हो। कुल मिला कर 46 ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं , जिनका सम्मिलित कारबार भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के 80% का अंश होता है, में सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) के सदस्य संगठनों का समावेश है। वे चाहते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें ऐसी संस्थाएं माने जिनका वह विनियमन करता है और इसलिए वे वित्तीय प्रणाली के पूर्ण स्तरीय सदस्य हैं।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में पुनरुत्थान के संकेत दिखाई देते हैं

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का आह्वान किया है कि वह वित्तीय समावेशन लाने और वित्तीय सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाने में सरकार के साथ मिल कर काम करे। यह कहते हुए कि सरकार की भूमिका एक समर्थनकारी नीतिगत ढांचा तथा क्षेत्र के विकास के लिए निधियां प्रदान करना, दोनों से सम्बन्धित है, उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास एवं विनियमन) विधेयक को इस क्षेत्र के सुदृढ़ विकास के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत समर्थन और दिशानिर्देश प्रदान करने वाला होना चाहिए।

ग्रामीण बैंकिंग

कम से कम 25% शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में खोलें

बैंकिंग सेवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) से प्रत्येक वर्ष कम से कम 25% शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण (स्तर 5 और स्तर 6) वाले केन्द्रों में खोलने के लिए कहा है। स्तर 5 वाले क्षेत्रो में 5,000 और 9,999 के बीच की आबादी वाले और स्तर 6 वाले क्षेत्रों में 5,000 से कम आबादी वाले इलाकों का समावेश होता है। किसी बैंक रहित ग्रामीण केन्द्र से अभिप्राय होगा एक ऐसा ग्रामीण (स्तर 5 और स्तर 6 वाला) केन्द्र जिसमें ग्राहक-

आधारित बैंकिंग लेनदेनों के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) का ईंट और गारे वाला ढांचा न मौजूद हो।

बीमा

इर्डा ने निवेश मानदंडों को अंतिम रूप दिया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) किसी निवेश प्राप्तकर्ता कम्पनी की सम्पूर्ण गैर-प्रवर्तक समूह वाली बीमा कम्पनी की निवेश सीमा निर्धारित करने की तैयारी में है। प्रस्ताव प्रारूप में वर्णित एक्सपोजर सीमाओं के अध्ययीन किसी बीमाकर्ता का निवेश प्रवर्तकों के समूह से सम्बन्धित सभी कम्पनियों में उसके कुल निवेशों के योग के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रवर्तकों के समूह से सम्बन्धित सभी कम्पनियों में किए गए निवेश या तो निजी अभिनियोजन (इक्विटी) या फिर गैर-सूचीबद्ध लिखतों (इक्विटी और ऋण) के रूप में नहीं किए जाने चाहिए। इसके अलावा, कोई बीमाकर्ता समूह से सम्बन्धित सभी कम्पनियों में निवेश आस्तियों के 15% से अधिक का निवेश नहीं कर सकता।

इर्डा ने मूलभूत सुविधा का अर्थ पुनर्परिभाषित किया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने अपने भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीकरण विनियमों के अधीन मूलभूत सुविधा को पुनर्परिभाषित किया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के भारतीय बीमा कम्पनी पंजीकरण विनियम, 2000 की धारा 2 (एच) के अनुसार मूलभूत सुविधाओं में राजमार्गों, सेतुओं (पुलों), हवाई अड्डों, पत्तनों, रेलवे, सड़क परिवहन प्रणालियों, जल-आपूर्ति परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक पार्कों, जल शोधन प्रणालियों और ठोस पदार्थ अपकृत्य प्रबन्धन प्रणालियों का समावेश है। इसमें स्वच्छता एवं मलमूत्र प्रणालियों, बिजली के उत्पादन, वितरण अथवा परिवहन, दूरसंचार और आवास परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसने बीमा कम्पनियों के निवेश संस्तर को विस्तारित कर दिया है तथा उन्हें मूलभूत सुविधा की नयी श्रेणियों में निवेश करने में भी समर्थ बनाएगा।

विदेशी मुद्रा

फर्मों के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिमों का हिसाब रखें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कारपोरेटों के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिमों से पैदा होने वाले जोखिमों का कठोरतापूर्वक मूल्यांकन करने की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए कहा है। वह चाहता है कि बैंक ऋण जोखिम प्रीमियम में इस ऋण जोखिम का मूल्य-निर्धारण करें तथा उन्हें

उनके निदेशक मण्डल के अनुमोदन के साथ इसकी अनुपालन रिपोर्ट दिसम्बर 2012 की समाप्ति से पहले भिजवाएं।

दिसम्बर 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.86000	0.385	0.455	0.585	0.771
जीबीपी	1.03250	0.7519	0.8268	0.9362	1.0740
यूरो	0.48429	0.426	0.532	0.691	0.878
जापानी येन	0.51157	0.250	0.250	0.263	0.297
कनाडाई डालर	1.94700	1.355	1.434	1.532	1.638
आस्ट्रेलियाई डालर	3.89000	3.013	3.093	3.256	3.356
स्विस फ्रैंक	0.30840	0.105	0.140	0.220	0.320
डैनिश क्रोन	0.66000	0.5890	0.6960	0.8430	1.0190
न्यूजीलैंड डालर	3.35000	2.620	2. 750	2.895	3.055
स्वीडिश क्रोनर	2.05750	1.311	1.382	1.472	1.587
सिंगापुर डालर	0.50500	0.525	0.600	0.750	0.880
हांगकांग डालर	0.43000	0.440	0.480	0.570	0.700
एमवाईआर	3.21000	3.210	3.270	3.320	3.380

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**23नवंबर 2012 के दिन**	**23 नवंबर 2012 के दिन**
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 291, 0	2 94,981.0
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 397.2	2 60,138. 2
ख) सोना	1, 525, 5	28, 189. 3
ग) विशेष आहरण अधिकार	243, 7	4, 402.8
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	124.6	2, 250.7

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नयी नियुक्तियां

- श्रीमती विजयलक्ष्मी अय्यर को बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री मलय मुखर्जी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
- श्री पी.वी. अनंतकृष्णन को सिंगापुर में स्थित मुख्यालय वाले यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक के भारतीय परिचालन के देश प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री जी. श्रीनिवासन को न्यू इंडिया अश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
पंजाब नैशनल बैंक	एक्सप्रेस मनी	पीएनबी एक्सप्रेस मनी रेमिट कार्ड मुद्रा अंयतण सेवा योजना (MTSS) के तहत विदेशों को मुद्रा भेजने और उनसे मुद्रा प्राप्त करने हेतु विदेशी आवक विप्रेषण को सुगम बनाता है।
आईसीआईसीआई बैंक	वोडाफोन इंडिया	मोबाइल मुद्रा अंतरण एवं भुगतान सेवाएं ।
येस बैंक	एज्सपेंड प्रिपेड सर्विसेज	पूर्व-प्रदत्त कार्डों का उपयोग बिक्री केन्द्रों (PoS) में खरीदियां करने तथा भारतभर में मास्टरकार्ड नेटवर्क पर ऑनलाइन खरीदारी करने हेतु किया जा सकता है।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	कलकत्ता शेयर बाज़ार	शेयरों की खरीद-बिक्री हेतु एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म
बैसिक्स	रॉयल सुंदरम एलायेंस जेनरल इंश्योरेंस और एवीवा लाइफ इंश्योरेंस	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए ।
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	बजाज ऑटो	उन ग्राहकों को वित्त प्रदान करने के लिए जो बाद वाले के ऑटोरिक्शा खरीदना चाहते हैं।

इलाहाबाद बैंक	यूनीवर्सल सोम्पो जेनरल इंश्योरेंस	उनके कृषि ऋण उत्पाद किसान क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने हेतु।
चाइना डेवलपमेंट बैंक	लैंकों इन्फ्राटेक	उसके निर्माणाधीन कोयला-आधारित संयंत्र हेतु
भारतीय स्टेट बैंक	सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट	किसानों को कटाई के पश्चात् वाली ऋण एवं भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने हेतु।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती अंकों में उल्लेख है, हम इसके नीचे दबाव-परीक्षण प्रथाओं में हुए उन परिवर्तनों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो वित्तीय संकट के निष्कर्ष एवं परिणाम के रूप में अपनाए गए :

संकट पैदा होने के बाद से दबाव-परीक्षण कार्यों में हुए परिवर्तन :

घटनाओं की अभूतपूर्व गंभीरता को देखते हुए दबाव-परीक्षण को बैंकों में एक भिन्न जोखिम परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए अनुपूरक जोखिम प्रबन्धन और पूंजी आयोजना के साधन के रूप में अधिक महत्व एवं विश्वसनीयता प्राप्त हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया जारी है, ताकि दबाव-परीक्षण कार्यक्रम बैंकों के अभिशासन ढांचों में अन्तर्निहित हो जाएं। इसके अलावा, इस प्रक्रिया का नेतृत्व निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा किया जाना आवश्यक होता है।

बैंक इस बात को मानते हैं कि वर्तमान दबाव-परीक्षण ढाचों को जोखिम निरूपण की प्रभावशीलता और सुविचारित जोखिमों की श्रेणी, दोनों ही दृष्टियों से विस्तारित किया जाना आवश्यक है। कुछेक बैंकों ने इन मुद्दों और इसके पहले अभिज्ञात विशिष्ट जोखिमों के लिए दबाव-परीक्षणों की कमजोरियों का निराकरण करना आरंभ कर दिया है। बैंक जिन और सामान्य क्षेत्रों में भावी सुधारों पर विचार कर रहें, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- परिदृश्यों की निरंतर रूप से समीक्षा करना तथा नये परिदृश्यों की तलाश में रहना;
- संभाव्य जोखिमों की पहचान करने के लिए नये उत्पादों का परीक्षण करना;
- सभी बहियों में सह-सम्बद्ध जोखिमों की पहचान एवं संयोजन और उसके साथ ही साथ बाज़ार, ऋण एवं चलनिधि जोखिम के बीच अन्योन्य क्रियाओं में सुधार लाना; और
- उपयुक्त समय संस्तरों एवं प्रति-सूचना के प्रभावों का मूल्यांकन करना।

सामान्यतया, फर्म-व्यापी दबाव-परीक्षण एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी कई एक बैंक यह सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से पहचान करते हैं कि उन्हें जोखिम के उपयुक्त प्रग्रहण तथा सभी व्यवसाय क्षेत्रों में जोखिम को अधिक प्रभावी रीति से संयोजित करने के उद्देश्य से उसमें सुधार लाना है। इस दस्तावेज़ में निर्धारित सिद्धांतों का उद्दिष्ट बैंकों द्वारा उनकी प्रथाओं में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों को समर्थित एवं पुनर्बलित करना है, किन्तु बैंकों अपने आप को सुधार के लिए जांच-सूची वाले दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए।

संकट आने के बाद कुछेक बैंकों द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धन के संकट प्रबन्धन निर्णयों की सूचना देने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में "खतरनाक स्थलों" (Hot-spots) के तदर्थ दबाव-परीक्षण का उपयोग किया गया। द्रुत गति से बदलती बाज़ार की स्थितियों के दौरान अत्यल्प अवधि में दबाव-परीक्षण करने का सामर्थ्य मूल्यवान सिद्ध हुआ है।

दबाव-परीक्षण में सुधार की आवश्यकता को वित्तीय उद्योग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जुलाई 2008 में अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान ने बाज़ार की उत्तम प्रथाएं : आचरण एवं उत्तम प्रथा के सिद्धांत पर अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान समिति की सिफारिशों पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ ही दबाव-परीक्षण की प्रथाओं की समीक्षा की गई थी तथा इस क्षेत्र में दो सिद्धांत नियत किए गए और पांच विशिष्ट सिफारिशें की गई थीं। सिद्धांतों में दबाव-परीक्षणों को व्यापक रूप से किए जाने तथा समग्र जोखिम प्रबन्धन की मूलभूत सुविधा के साथ एकीकृत किए जाने की आवश्यकता शामिल थी। उन्होंनें व्यवसायिक निर्णयों पर सार्थक प्रभाव होने के लिए ऐसे दबाव-परीक्षणों की आवश्यकता की पहचान की, जिसमें निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबन्धन की दबाव-परीक्षण के परिणामों तथा उसके बैंक की जोखिम प्रोफाइल पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो। प्रतिपक्ष जोखिम प्रबन्धन नीति समूह (CRMPG III) की अगस्त 2008 की (प्रणालीगत जोखिम ; सुधार का मार्ग - प्रतिपक्ष जोखिम प्रबन्धन नीति समूह (CRMPG III) रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों में फर्मों के उन पर महत्वपर्ण प्रभाव निर्मित कर सकने वाली घटनाओं का पता लगाने के लिए तथाकथित विपरीत दबाव-परीक्षण सहित दबाव परीक्षणों के मूल्य को किस प्रकार अधिकतम किया जा सकता है, इसके बारे में सकारात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता का समावेश है।

आगामी अंक में हम सुदृढ़ दबाव-परीक्षण प्रथाओं के सिद्धांतों और बैंकों के पर्यवेक्षण पर चर्चा करेंगे।

(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

लाभों का पूंजीकरण

कम्पनी के उन प्रतिधारित अर्जनों, जो पिछले काफी समय से व्यवसाय में लगाए गए लाभों का निरूपण करते हैं, को पूंजी में परिवर्तित करना। लाभ पूंजीकरण की प्रक्रिया मौजूदा शेयरधारकों को शेयर लाभांश अथवा बोनस शेयर जारी करने से सम्बन्धित होती है। यह आबंटन उनकी मौजूदा शेयर धारिताओं के आधार पर अधिकार निर्गम वाले मामले की भांति ही किया जाता है।

शब्दावली

जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात

जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात का निर्धारण बैंक की पूंजी को ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए कुल जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों से विभाजित करके किया जाता है। किसी बैंक की जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात जितना अधिक होगा, वह उतना ही बेहतर पूंजीकृत होगा।

संस्थान की गतिविधियां

आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में दिसम्बर 2012 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	अपने ग्राहक को जानिए और धन शोधन निवारण	6 और 7 दिसम्बर, 2012
2	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर कानून पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	10 और 12 दिसम्बर, 2012
3	ऋण मूल्यांकन	17 और 21 दिसम्बर 2012

आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में नवम्बर, 2012 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	सहभागियों की संख्या
1	टॉपसिम कार्यक्रम	5 से 6 नवंबर, 2012 तक	15
2	बैंक ऑफ इंडिया के सीधे भर्ती हुए अधिकारियों के लिए विपणन एवं ग्राहक देखरेख पर कार्यक्रम	5 से 9 नवंबर, 2012 तक	44

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP)

संस्थान ने 2012-13 के लिए आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला, मुंबई में बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP) की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संस्थान समाचार

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान

वर्ष 2012 के लिए पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग द्वारा दिया जाएगा। इसके विवरण शीघ्र ही पोर्टल पर डाले जाएंगे।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विज़न

संस्थान ने अक्तूबर 2012 से आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पहले न पंजीकृत कराए हों, उनसे अनुरोध है कि वे संस्थान के पास उन्हें यथशीघ्र पंजीकृत करा लें।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य परिपत्रों से छांट कर निकाली गई अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50

01/11/12 05/11/12 06/11/12 07/11/12 08/11/12 09/11/12 16/11/12 20/11/12 22/11/12 26/11/12 27/11/12 29/11/12 30/12/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 1ली को रुपया इस अटकल पर कि निर्यातकों ने अधिक अनुकूल विनिमय दरों का लाभ उठाने के लिए अपने विदेशी अर्जनों को प्रत्यावर्तित कर दिया, तीसरे दिन बढ़ा। रुपया 0.2% बढ़ कर प्रति डालर 53.71 हो गया।
- 5वीं को रुपया 1.1 प्रतिशत लुढ़क कर 54.42 पर पहुंच गया, जो चार सप्ताहों में सर्वोच्च गिरावट थी, क्योंकि निवेशकों ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले डालर की अनुभूत सुरक्षा प्राप्त करना पसंद किया।
- पूंजी अन्तर्वाहों तथा निर्यातकों द्वारा डालर की बिक्री की पृष्ठभूमि में 7वीं को रुपये में 2.3 पैसे की सुदृढ़ मूल्य वृद्धि हुई तथा वह 54.120 पर स्थिर हुआ।
- यूरोपीय नेताओं के ग्रीस के लिए ऋण कटौती पैकेज पर सहमत होने में विफल हो जाने बाद 21 को रुपये में 0.1 प्रतिशत की गिरावट हुई, जिससे वह 55.13 प्रति डालर हो गया।
- 26वीं को रुपया लुढ़क कर लगभग 3 माह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और 0.4 प्रतिशत घट कर प्रति डालर 55.73 हो गया।
- बिजिनेस स्टैंडर्ड के एक सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रा विशेषज्ञ दिसम्बर के अंत तक रुपये के प्रति डालर 50-54 की श्रेणी में रहने की आशा करते हैं।
- पूंजी अन्तर्वाहों और निर्यातकों द्वारा डालर की बिक्री की पृष्ठभूमि में 29वीं को रुपये ने दो माह में सबसे बड़ी मूल्यवृद्धि दर्ज की। भारतीय मुद्रा 55.46 के पिछले बंद वाले स्तर की तुलना में डालर के समक्ष 54.83 पर बंद हुई।
- माह के दौरान अमरीकी डालर, स्टर्लिंग-पौंड और यूरो के समक्ष रुपये में क्रमश: 1.39%, 0.82% AOr 1.70% का मूल्यह्रास हुआ, जबकि जापनी येन के समक्ष 1.60% की मूल्यवृद्धि हुई।

भारित औसत मांग दरें

8.20
8.10
8.00
7.90
7.80
7.70

01/11/12 02/11/12 03/11/12 05/11/12 06/11/12 07/11/12 09/11/12 10/11/12 12/11/12 17/11/12 19/11/12 22/11/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- मांग दरें 31वीं अक्तूबर के 8.05 प्रतिशत से बढ़ कर 8.15 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं।
- एक दिवसीय बाज़ार में मांग दरें 6ठी के 8.15 प्रतिशत से घट कर 8.10 प्रतिशत के कमतर स्तर पर बंद हुईं।

- मांग मुद्रा दरें 18वीं को 7.95 प्रतिशत के पिछले बंद स्तर से बढ़ कर 8.05 के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं।
- मांग मुद्रा दरें स्थिर बनी रहीं और 26वीं को 8.10 प्रतिशत पर बंद हुईं।
- मांग मुद्रा दरें पिछले 7.95 प्रतिशत के मुकाबले 29वीं को 8.05 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं।
- माह के दौरान बाज़ार में मांग मुद्रा दरें 7.95 प्रतिशत और 8.15 प्रतिशत के बीच मंडराती रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

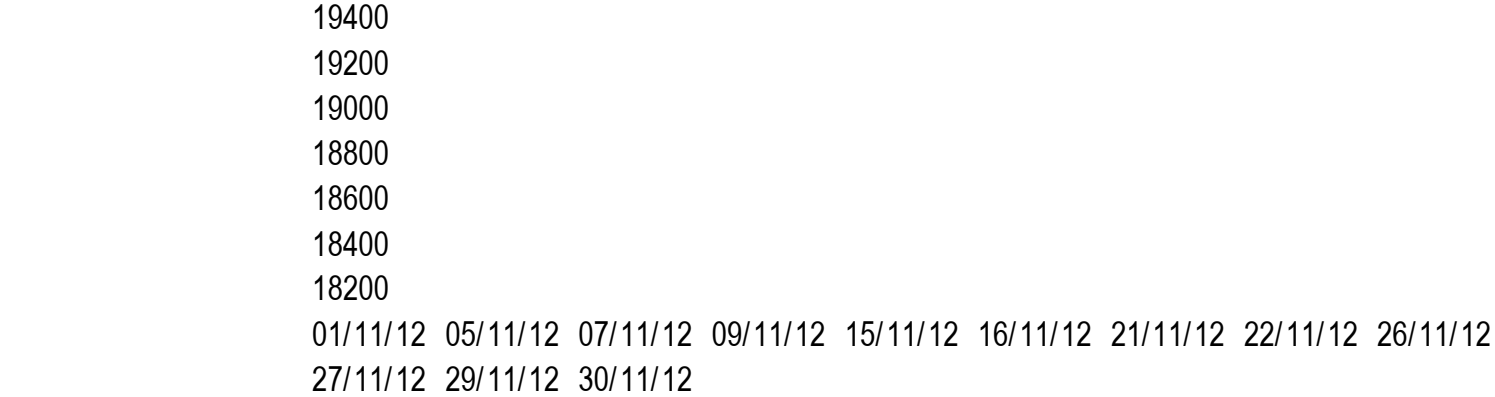

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न दिसम्बर, 2012